फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : कंकु | विपक्षी : चतरू

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.9 | पत्रावली संख्या : 687/15

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.11.19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित, अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया । पत्रावली को अवलोकन किया, दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 24/12 अपील का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 19.3.2015 को अपीलाण्ट मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर अपील अदम हाजरी में खारिज की गई थी। अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.09.2015 को ही मूल प्रकरण को नम्बर पर लिया जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 के तहत प्रस्तुत कर दिया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी /अपीलाण्ट का हित निहीत होने से अपीलाण्ट को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षी का यह कहना की प्रार्थी द्वारा 6 माह बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिये खारिज किया जावे,चूंकि यह तकनीकी बिन्दू है एवं केवल इसी बिन्दू को आधार मानते हुए यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थी के साथ न्याय नही होगा। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रिश्तेदारी में मौत होने का कथन किया है। अपीलाण्ट की अपील में हित निहित होने से अपीलाण्ट को सुना जाना आवश्यक है। चूंकि प्रतिवादी द्वारा की गई आपत्ति को भी नजर अन्दाज नही किया जा सकता है। अतः देरी की लिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कोस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 1000/– एक हजार रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 24/12 अपील कंकु बनाम चतरू में आदेश दिनांक 19.3.15 को अपास्त किया जाता है तथा मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता उक्त कोस्ट की राशि 1000/– एक हजार रूपया राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2019.11.26 15:06:38 IST
Reason: SelfAttested